UPUN010043492021

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, उन्नाव।

उपस्थित–अनिल कुमार वर्मा–प्रथम(उच्चतर न्यायिक सेवा)

सत्र परीक्षण संख्या–1076/2021

उत्तर प्रदेश राज्य ....अभियोजक

बनाम

1. राजेश यादव पुत्र वासदेव
2. सुमित यादव पुत्र मंगलू
   निवासीगण शेखपुर थाना सोहरामऊ, जिला उन्नाव।
3. रज्जन यादव पुत्र बाबादीन
4. संदीप यादव पुत्र रज्जन
   निवासीगण ग्राम पटकापुर थाना सोहरामऊ, जिला उन्नाव।

अपराध संख्या–116/2021
धारा–302,323,506 भा0दं0सं0
थाना–सोहरामऊ, जिला उन्नाव।

निर्णय

1. प्रस्तुत मामले में मु0अ0सं0–116/2021 की विवेचना के उपरान्त थाना–सोहरामऊ, जिला उन्नाव द्वारा अभियुक्तगण राजेश यादव, सुमित यादव, रज्जन यादव व संदीप यादव के विरूद्ध दिनांक 10.09.2021 अन्तर्गत धारा–302,323,506 भा0दं0सं0 के अपराध के लिए न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उन्नाव में प्रेषित किया गया। मामला सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय होने के कारण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उन्नाव द्वारा आदेष दिनांक 05.10.2021 द्वारा सत्र सुपुर्द किया गया।

2. वादिनी मुकदमा रामजानकी पत्नी रामलखन निवासी ग्राम शेखपुर पो0दरेहटा अचली, थाना सोहरामऊ, जिला उन्नाव द्वारा तहरीर प्रस्तुत करके कथन किया गया कि–दिनांक 12.07.2021 लगभग रात 12.00बजे की बात है उसके गांव के राजेश पुत्र बासदेव, सुमित पुत्र मंगलू, रज्जन यादव पुत्र अज्ञात, संदीप पुत्र रज्जन निवासी पटकापुर, थाना सोहरामऊ से उसकी पुरानी रंजिश चल रही है। उसी रंजिश को लेकर उसके दरवाजे आये और उसके लड़के अमित गुप्ता को लिवा ले गये, लड़के को बुरी तरह से मारापीटा, जिससे लड़के की मृत्यु हो गयी। मृत्यु के बाद लड़के को गांव के बाहर पेड़ से लटका दिया। काफी देर बाद जब लड़का वापस नही आया तो

Digitally signed by ANIL KUMAR VERMA
Date: 2026.03.25 10:58:39 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

उपरोक्त लोगो से पूछने पर बताया कि तुम्हारा लड़का वहां पेड़ से लटका है, उतार लाओ तथा धमकी दी कि तुम्हारे लड़के को जान से मारा है, जो करना हो कर लो। लड़के के शरीर पर गंभीर चोट के निशान है। वादिनी मुकदमा के लिखित सूचना के आधार पर सम्बंधित थाने में चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट मु0अ0सं0–116/2021 अंतर्गत धारा–302,323,506 भा0दं0सं0 में अभियुक्तगण राजेश, सुमित, रज्जन व संदीप के विरूद्ध दर्ज की गयी।

3. उपरोक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर विवेचना की गयी। विवेचक द्वारा दौरान विवेचना साक्षीगण के बयान अन्तर्गत धारा–161दं0प्र0सं0 दर्ज किया, घटना स्थल का नक्शानजरी बनाया गया। एक अदद प्लास्टिक(पन्नी रस्सी) बरामद की गयी जिसकी फर्द बरामदगी तैयार की गयी। मृतक अमित गुप्ता के शव का पंचायतनामा तथा शवविच्छेदन से संबंधित प्रपत्र तैयार कर शवविच्छेदन कराया गया। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी प्रपत्र तैयार किये गये तथा अभियुक्तगण व अन्य शेष साक्षीगण का बयान अंकित किये गये। सम्पूर्ण साक्ष्य संकलन के उपरान्त अभियुक्तगण राजेश यादव, सुमित यादव, रज्जन यादव व संदीप यादव के विरूद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा–302,323,506भा0दं0सं0 न्यायालय प्रेषित किया गया। प्रेषित आरोप पत्र पर न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया। अभियुक्तगण को आहूत किया गया। अभियुक्तगण उपस्थित आये। उन्हें न्यायालय द्वारा धारा–207दं0प्र0सं0 के अनुपालन में अभियोजन प्रपत्रों की प्रतियां प्रदान की गयी। प्रकरण सत्र न्यायालय परीक्षणीय होने के कारण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उन्नाव द्वारा प्रकरण सत्र न्यायालय विचारण हेतु सुपुर्द किया गया।

4. सत्र न्यायालय ने विचारण के प्रारम्भ में विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा अभियोजन कथानक का सांराश प्रस्तुत करते हुए कहा कि अभियेाजन साक्षियों के साक्ष्य के आधार पर अभियोजन कथानक को प्रमाणित करने की प्रतिस्थापना करता है। तत्कालीन विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा दिनांक 20.04.2022 को अभियुक्तगण राजेश यादव, सुमित यादव, रज्जन यादव व संदीप यादव के विरूद्ध आरोप अन्तर्गत धारा–323/34,302/34,506भा0दं0सं0 विरचित कर पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार किया तथा विचारण की मांग की।

5. अभियोजन पक्ष द्वारा अभियोजन कथानक के समर्थन में निम्न साक्षियों क्रमशः पी0डब्लू0–1 राजजानकी(वादिनी), पी0डब्लू0–2 किरन गुप्ता(गवाह), पी0डब्लू0–3 अजीत गुप्ता(गवाह), पी0डब्लू0–4 उ0नि0 तेजपाल पाण्डेय(लेखक), पी0डब्लू0–5 डा0

अलोक रंजन (शवविच्छेदनकर्ता), पी0डब्लू0–6 उ0नि0 बलराम सिंह यादव (लेखक पंचायतनामा व शवविच्छेदन प्रपत्र), पी0डब्लू0–7 निरीक्षक, सुरेश कुमार पटेल(विवेचक), पी0डब्लू0–8 निरीक्षक अखिलेश चन्द्र पाण्डेय(विवेचक) को परीक्षित कराया गया है। अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेखीय साक्ष्य में तहरीर प्रदर्श क–1, मृतक अमित गुप्ता का पंचायतनामा प्रदर्श क–2, एफ0आई0आर0 प्रदर्श क–3, जी0डी0 प्रदर्श क–4, मृतक अमित गुप्ता की शवविच्छेदन आख्या प्रदर्श क–5, चिट्ठी आर0आई0 प्रदर्श क–6, चिट्ठी सी0एम0ओ0 प्रदर्श क–7, चालान लाश प्रदर्श क–8 फोटो लाश प्रदर्श क–9, नमूना सील प्रदर्श क–10, फर्द बरामदगी प्लास्टिक पन्नी की रस्सी प्रदर्श क–11, घटना स्थल का नक्शा नजरी प्रदर्श क–12, सी0डी0आर0 प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रदर्श क–13, गिरफ्तारी प्रपत्र राजेश यादव प्रदर्श क–14, गिरफ्तारी प्रपत्र सुमित यादव व संदीप यादव प्रदर्श क–15 व गिरफ्तारी प्रपत्र रज्जन यादव प्रदर्श क–16, आरोप पत्र प्रदर्श क–17, प्लास्टिक(पन्नी रस्सी) की वस्तु प्रदर्श–1 प्रस्तुत किये गये है।

6. अभियोजन साक्ष्य के उपरान्त अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा–313 दं0प्र0सं0 दिनांक 09.10.2025 को लेखबद्ध किया गया, जिसमें अभियुक्तगण ने अभियोजन कथानक तथा तथ्य के साक्षी पी0डब्लू0–1 लगायत पी0डब्लू0–3 के बयानों को गलत बताया। पी0डब्लू0–4 उ0नि0 तेजपाल पाण्डेय लेखक, पी0डब्लू0–5 डा0आलोक रंजन, शवविच्छेदनकर्ता, पी0डब्लू0–6 उ0नि0बलराम सिंह यादव पंचायतनामा व शवविच्छेदन प्रपत्र के तैयार कर्ता द्वारा दिये गये साक्ष्य के संबंध में कहा, नही मालूम तथा पी0डब्लू0–7 सुरेश कुमार पटेल, निरीक्षक विवेचक, पी0डब्लू0–8 अखिलेश चन्द्र पाण्डेय निरीक्षक विवेचक, द्वारा दिये गये साक्ष्य के संबंध में कहा गलत है। उनके द्वारा यह भी कथन किया गया कि उनके विरूद्ध मुकदमा गांव की पार्टीबन्दी के कारण रंजिशन चला। वे निर्दोष है, उन्हें झूठा फसाया गया है। अभियुक्तगण को सफाई साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा आदेश पत्र पर इस आशय की टिप्पणी अंकित की गयी कि उनको कोई सफाई साक्ष्य नही देना है।

7. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता श्री आर0डी कनौजिया तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्री अनिल त्रिपाठी के तर्को को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य पर गंभीरता पूर्वक अध्ययन एवं परिशीलन किया।

8. **पी0डब्लू0–1 रामजानकी वादिनी मुकदमा ने सशपथ कथन किया कि–**

घटना दिनांक 12 जुलाई 2021 की है। उसके घर के बाहर उसका बेटा अमित गुप्ता चारपाई पर सो रहा था। वह व उसकी बेटी किरन, अजीत गुप्ता घर की छत पर सो रही थी। समय करीब 12.00बजे रात राजेश, सुमित यादव आये और उसके बेटे की चारपाई पर बैठ गये, और उसके लड़के से दोनों लोग बातचीत कर रहे थे, उसकी ऑख खुली तो उसे लगा कि उसके लड़के से कोई बातचीत कर रहा है। वह नीचे उतरकर आयी, उसने देखा कि अमित से सुमित व राजेश बात कर रहे थे, फिर दोनों लोग उसके बेटे को ले जाने लगे, उसने पूछा कि कहां ले जा रहे हो तो कहा कि उसके बेटे से उनको कुछ बात करनी है, बातचीत करके वापस भेज देगे और उसके बेटे को लेकर चले गये, वह रात्रि मे ही राजेश के घर गयी, पूछा उसका बेटा कहां है, तो सुमित व राजेश कुछ नही बोले, तब वह गांव के प्रधान राम बिलास के यहां अपने लड़के अजीत के साथ गयी तो उसने प्रधान को यह बताया कि उसके बेटे अमित को राजेश व सुमित ले गये है, अभी तक उसका बेटा वापस नही आया है। प्रधान ने राजेश से फोन से बात की, तथा प्रधान जी एक घण्टा बैठे रहे, प्रधान ने कहा कि तुम्हारा बेटा सुबह होते ही आ जायेगा, तुम घर जाओ, फिर वह अपने घर चली आयी। दूसरे दिन वह सुबह सात बजे जब वह सोकर उठी तो उसके दरवाजे पर राजेश, सुमित रज्जन व संदीप चारो लोग आये तो उसने पूछा कि उसका लड़का अभी तक नही आया, तो राजेश ने कहा कि तुम्हारे लड़के को हम लोग तेदुंआहार निधान खेड़ा के पास आम के पेड़ मे लटका आये है और उससे अपशब्दो का प्रयोग किया, फिर वह रोते बिलखते तेंदुआहार गयी। वहां के पेड़ मे लटका मिला, फिर उसने फोन से पुलिस को सूचित किया, पुलिस आयी, पुलिस के कहने पर उसके लड़के अमित गुप्ता के शव को आम के पेड़ से उसके लड़के अजीत गुप्ता व सूरज गुप्ता, रोहित ने मिलकर उतारा। प्लास्टिक की रस्सी काटकर लड़के को उतारा था। उसके लड़के के चोट आयी थी, जो गंभीर प्रकृति की थी। उसके लड़के को इन लोगो ने बड़ी बुरी तरह से मारा था, मारकर पेड़ से लटका दिया था। घटना के संबंध में उसने एक प्रार्थना पत्र एक लड़के से बोलबोल कर लिखाया था, फिर लड़के ने प्रार्थना पत्र पढ़कर सुनाया था, प्रार्थना पत्र सुनने के बाद उस पर निशान अंगूठा लगाकर थाने पर दिया था, जिस पर उसकी रिपोर्ट लिखी गयी थी। पत्रावली में संलग्न तहरीर प्रार्थना पत्र कागज संख्या क4/7 पर लगे अपने नि0अंगूठा की पुष्टि करती है, जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। दरोगा जी ने अमित की लाश का पंचायतनामा भरा था। लाश को एक कपड़े मे सील मोहर करके पी0एम0 हेतु भेजा था। लाश का अंतिम संस्कार उसने किया था।

9. पी0डब्लू0–2 किरन गुप्ता ने सशपथ कथन किया है कि– घटना दिनांक 12.07.2021 की रात 12.00बजे की है, उस समय वह व उसकी मॉ, भाई अजीत छत पर सो रहे थे। उसका छोटा भाई अमित गुप्ता घर के बाहर दरवाजे के पास चारपाई पर सो रहा था। राजेश, रज्जन, संदीप व सुमित चारो लोग चारपाई पर बैठकर अमित गुप्ता से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान वह व उसकी मॉ जग गयी। वह व उसकी मॉ जीने से उतरकर दरवाजे के बाहर आयी। बाहर आकर उसने देखा कि रज्जन, संदीप, राजेश व सुमित उसके भाई से बातचीत कर रहे थे। उसके भाई को चारो लोग कहीं ले जाने लगे, उसने मना किया, कि उसके भाई को इस समय रात मे कहां ले जा रहे हो। उसके भाई को उक्त चारो लागो अपने साथ कहीं ले गए। वह व उसकी मॉ अमित गुप्ता के लौटने का पूरी रात इंतजार करते रहे परन्तु वह सुबह तक घर नही लौटा। वह व उसकी मॉ रात मे ही काफी इंतजार करने के बाद अपने गांव के प्रधान राम बिलास के घर गयी थी। उसने ग्राम प्रधान को पूरी घटना बतायी। ग्राम प्रधान ने उसे व उसकी मॉ को अपने घर मे बिठाये रखा और कहा कि अभी राजेश से बात करते है। उसे यह जानकारी नही है कि ग्राम प्रधान राम बिलास ने अभियुक्तो से क्या बातचीत की। राजेश व ग्राम प्रधान राम बिलास के बीच मोबाइल फोन से करीब एक घण्टा तक बातचीत होती रही। ग्राम प्रधान राम बिलास ने उससे व उसकी मॉ से कहा कि अभी तुम दोनों लोग घर जाओ। अमित गुप्ता सुबह तक वापस आ जायेगा। यदि नही आयेगा तब वह अमित गुप्ता की खोज करेगा। सुबह सात बजे उपरोक्त चारों अभियुक्त उसके घर के बाहर आये, तब उसने चारों अभियुक्तो से पूछा कि उसका भाई अमित कहां है, तो अभियुक्तों ने कहा कि तुम्हारे भाई को तेंदुआहार में आम के पेड़ में रस्सी से लक्ष्मण बाग मे मारकर लटका दिया है। अभियुक्तगण ने उसे व उसकी मॉ को गंदी गंदी गालियां दी और कहा कि तुम्हें जो करना हो कर लो। वह व उसकी मॉ तेंदुआहार में लक्ष्मण बाग गयी थी। उसने वहां देखा कि उसका भाई अमित गुप्ता आम के पेड़ मे मरा हुआ लटका है। इस घटना की सूचना दिनांक 13.07.2021 को उसकी मॉ ने थाने मे दी थी।

10. पी0डब्लू0–3 अजीत गुप्ता ने सशपथ कथन किया है कि– घटना दिनांक 12.07.2021 की रात वह व उसकी मम्मी व उसकी बहन किरन गुप्ता खाना खाकर छत पर लेटे थे उसका बड़ा भाई अमित खाना खाकर घर के बाहर चबूतरे पर लेटा था। घर मे लगी सोलर लाइट का एल.ई.डी. बल्व घर के बाहर जल रहा था। रात 12.00बजे उसकी मम्मी रामजानकी गुप्ता जानवरो को देखने के लिये उठी

और जो बाहरी जानवर आ गये थे उनको चिल्लाकर भगाने लगी। मम्मी की आवाज सुनकर वह व उसकी बहन किरन भी जग गये। वह व उसकी मॉ रामजानकी व बहन किरन गुप्ता ने छत से झांककर नीचे देखा कि उसके भाई अमित के साथ उसकी चारपायी पर राजेश और सुमित बैठे है तथा रज्जन और संदीप चारपाई से पांच कदम दूरी पर खड़े है और उसके भाई से बातचीत कर रहे है। बातचीत करते समय चारों लोग उसके भाई अमित को लेकर जाने लगे तो उसकी मॉ ने पूछा कहां ले जा रहे हो, तब इन लोगो ने कहा कि अभी बातचीत करने के लिये ले जा रहे है, कुछ देर बाद आ जायेगे, जब उसका भाई वापस नही आया, तब वह उसकी मॉ रात मे ही ग्राम प्रधान के पास गये, उनको पूरी बात बतायी, तब उन्होने राजेश से फोन करके बात की। उसकी मम्मी ने जब ग्राम प्रधान रामबिलास यादव से पूछा कि किससे बात कर रहे हो तब प्रधान ने कहा कि वह राजेश यादव से बात कर रहा है। प्रधान ने कहा कि तुम्हारा लड़का अमित, राजेश यादव के साथ है। सुबह तक वापस आ जायेगा, तुम लोग वापस घर जाओ, जब हम लोग अपने घर आ गये। सुबह सात बजे राजेश, सुमित, संदीप, रज्जन उसके दरवाजे आये, उसकी मॉ ने उनसे पूछा कि उसका लड़का अमित कहां है, तो राजेश ने उसकी मॉ से कहा कि तुम्हारे लड़के को बार बार समझाया कि उसकी पत्नी के पास न जाये और उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध रखना छोड़ दे। इस बार उसने उसे अच्छे से समझा दिया है। तुम्हारे लड़के को मारकर तेंदुआहार मे आम के पेड़ मे टांग आये है। जब राजेश यह बात बता रहा था। उस समय मॉ के साथ वह उसकी बहन किरन साथ मे थी। वह उसकी मम्मी तेंदुआहार मौके पर गये, तो देखा कि उसका भाई अमित आम के पेड़ पर लटका हुआ है। उसके शरीर पर काफी चोटें थी, और धूल मिट्टी लगी थी, उसके नांक से खून आ रहा था। उसके बाद उसने पुलिस को फोन करके बुलाया। उसकी मम्मी को दरोगा जी थाने लेकर गये, जहां उसकी मम्मी ने रिपोर्ट लिखायी थी। उसके बाद पुलिस के कहने पर हम लोगो ने शव को आम के पेड़ से उतारा था। चारों मुल्जिमान ने मिलकर उसके भाई की हत्या करके पेड़ पर लटका दिया था। उसके भाई के शव का पंचायतनामा थाना पुलिस द्वारा उसे व चार अन्य लोगो को पंचान नियुक्त कर मौके पर ही कार्यवाही की गयी थी। पंचायतनामा पढ़कर सुनाकर हम लोगो के हस्ताक्षर बनवाये गये थे। पंचायतनामा पत्रावली पर कागज संख्या 7क/4 ता 7क/5 देखकर साक्षी ने अपने हस्ताक्षर की पहचान की, जिस पर प्रदर्श क–2 डाला गया।

11. पी0डब्लू0–4 तेजपाल पाण्डेय रि0उ0नि0 ने सशपथ कथन किया है

कि–दिनांक 13.07.2021 को वह थाना सोहरामऊ में हे0का0 के पद पर तैनात था। उस समय समय 08.15 बजे सूचनाकर्ता श्रीमती रामजानकी पत्नी रामलखन गुप्ता द्वारा दी गयी लिखित तहरीर के आधार पर सी.सी.टी.एन.एस. कम्प्यूटर आपरेटर को बोलबोल कर मु0अ0सं0 116 / 2021 धारा 302,323,506भा0दं0सं0 अभियुक्तगण राजेश, सुमित, रज्जन यादव व संदीप के विरूद्ध पंजीकृत कराया गया था। चिक एफ0आई0आर0 थाने से प्रमाणित पत्रावली मे कागज संख्या क4 / 1 लगायत क4 / 6 साक्षी ने देखकर प्रमाणित किया, जिस पर प्रदर्श क–3 डाला गया। अपराध का खुलासा उसी समय जी0डी0 संख्या–15 दिनांक 13.07.2021 समय 08.15 बजे अंकित किया गया। पत्रावली पर कागज संख्या 7क / 18 को देखकर साक्षी ने अपने हस्ताक्षर बनाये तथा प्रमाणित किया, जिस पर प्रदर्श क–4 डाला गया।

12. पी0डब्लू0–5 डा0आलोक रंजन ने सशपथ कथन किया है कि– दिनांक 13.07.2021 को वह पोस्टमार्टम डयूटी पर जिला अस्पताल उन्नाव में कार्यरत था। उस दिन उसने मृतक अमित गुप्ता पुत्र रामलखन गुप्ता का शवविच्छेदन दिनांक 13.07.2021 समय सांय 04.15पी.एम. से 05.00पी.एम. के मध्य किया गया।

<u>बाह्य परीक्षण</u>–

मृतक की लम्बाई 183से.मी. थी। मृत्यु के उपरान्त अकड़न गर्दन से निकलते हुए ऊपर के दोनों हाथ नीचे के दोनों पैर मे मौजूद थी। P.M. Starring दोनों हाथ दोनो पैर और पंजे मे मौजूद थी। दोनों ऑखे अधखुली थी। दोनों आखो की झिल्लियां कन्जस्टेड थी। मुॅह खुला हुआ था, जीभ बाहर थी, दोनों नथुनो पर खून जमा था।

<u>मृत्यु पूर्व चोटें</u>

1. Ligarture mark 20c.m. x 2 1/2 c.m. गर्दन के सामने और ठोढी के नीचे कंठ पर मौजूद थी, पीछे सीधे की तरफ जाते हुए गर्दन के पीछे 06से.मी. का गैप मौजूद था। मार्क दाहिने कान से 03से.मी. नीचे ठोढी से 7से.मी. नीचे एवं बांये कान से 3से.मी. नीचे था।

निशान गले मे बेस पर मुलायम और लाल था, उसको काटने पर उसके नीचे Echymosis थी।

2. चोट नं0–2 फटा हुआ घाव 1 x 9.5 c.m. नांक पर नीचे की जड़ से 2से.मी. नीचे था।

3. चोट नं0–3 सिला हुआ नीलगू का निशान 16 x 2 c.m. पीठ पर दाहिनी तरफ स्कैपुला से 07से.मी. नीचे था।

4. चोट नं0–4 छिला हुआ नीलगू का निशान 13 x 2 c.m. जो कि चोट सं0–1 से 02से.मी. नीचे पीछे पीठ की तरफ था।

आंतरिक परीक्षण–

सिर की झिल्लियां और मष्तिस्क कन्जस्टेड था। स्वांस नली कन्जस्टेड दोनों फेफड़े और दोनों प्लूरा कन्जस्टेड थे। हृदय का दाहिना चेम्बर भरा हुआ और बांया चेम्बर खाली था। आमाश्य मे लगभग 100एम.एल. तरल पदार्थ मौजूद था। छोटी आंत मे पेस्ट और गैसेस, बड़ी आंत मे मल और गैसेस थी। यकृत प्लीहा और दोनों गुर्दे कन्जस्टेड थे, पित्ती की थैली आधी भरी हुयी थी।

मृत्यु का कारण एण्टीमार्टम Strangulation जो मृत्यु पूर्व चोटें से होना संभव है। तात्कालिक मृत्यु का कारण Asphyxa था। मृत्यु का संभावित समय एक दिन के अंदर का था।

मृतक के बांये हाथ की अंगुलियों से लगभग 06से.मी. कुछ काले रंग के बाल मिले थे, जिसको सीलबंद डिब्बे मे रखकर D.N.A. Examination के लिये हे0का0 अनिल कुमार पाण्डेय थाना सोहरामऊ को दिया था। पी0एम0 रिपोर्ट सं0–78/2021 उसने अपने लेख व हस्ताक्षर से तैयार की है, जो पत्रावली में कागज संख्या 7क/1 लगायत 7क/3 शामिल है, जिसे देखकर साक्षी ने अपने हस्ताक्षर की पहचान की, जिस पर प्रदर्श क–5 डाला गया।

13. पी0डब्लू0–6 उ0नि0बलराम सिंह यादव ने सशपथ कथन किया है कि– दिनांक 13.07.2021 को वह थाना सोहरामऊ में उ0नि0 के पद पर तैनात था। उस दिन मृतक अमित गुप्ता पुत्र रामलखन गुप्ता की हत्या की सूचना पर थाना प्रभारी सुरेश चन्द्र पटेल के साथ थाने से पंचायतनामा व अन्य दीगर कागजात लेकर घटना स्थल पहॅुचे मृतक के शव की पंचायतनामा की कार्यवाही 08.45 बजे से 09.10 बजे के मध्य की गयी। शव के पास उपस्थित लोगो मे से अजीत गुप्ता, उमाशंकर, राम बिलास, सूरज गुप्ता, रामू गुप्ता को पंचान नियुक्त कर पंचायतनामा की कार्यवाही की गयी। मृतक की गर्दन पर गहरा निशान फन्दे का निशान व पैरो पर नीलगू चोट का निशान था। मृतक की मृत्यु मारपीट करने से आयी चोटों के कारण हुयी है। सही कारण जानने के लिये पी0एम0 कराया जाये। पंचायतनामा व अन्य पुलिस प्रपत्र उसने अपने लेख व हस्ताक्षर से तैयार किया। शव को पुलिस प्रपत्रो के साथ हे0का0 अनिल कुमार पाण्डेय के सुपुर्द कर वास्ते पी0एम0 रवाना किया गया। पंचायतनामा प्रदर्श क–2, चिट्ठी आर0आई0 प्रदर्श क–6, चिट्ठी सी0एम0ओ0 प्रदर्श क–7, चालान लाश प्रदर्श क–8, फोटो लाश प्रदर्श क–9, नमूना सील प्रदर्श क–10

अपने लेख व हस्ताक्षर से तैयार किया। मृतक का शव आम के पेड़ से प्लास्टिक की पन्नी से बनी रस्सी से लटका था, रस्सी की गांठ खुल नही रही थी। रस्सी को काटकर परिजनो की मदद से शव को नीचे उतारागया था। रस्सी को कब्जा पुलिस मे लेकर मौके पर ही सील मोहर किया गया। जिसकी फर्द उसने निरीक्षक सुरेश कुमार पटेल के बोलने पर अपने लेख व हस्ताक्षर मे तैयार की। फर्द पत्रावली पर कागज संख्या 5क/8 है, जिस पर प्रदर्श क—11 डाला गया।

14. **पी0डब्लू0—7 सुरेश कुमार पटेल निरीक्षक ने सशपथ कथन किया है कि—** दिनांक 13.07.2021 को वह प्रभारी निरीक्षक, थाना सोहरामऊ में नियुक्त था। उस दिन मु0अ0सं0—116/2021 धारा—302,323,506भा0दं0सं0 थाना पर दर्ज होकर उसकी विवेचना प्राप्त की। दौरान विवेचना वादिनी व साक्षीगण के बयान अंकित किये। वादिनी व उसके परिजन के साथ घटना स्थल पर पहुॅचकर घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी कागज सं0 8क/1 अपने लेख व हस्ताक्षर मे तैयार किया, जिस पर प्रदर्श क—12 डाला गया। उ0नि0 बलराम सिंह यादव द्वारा मृतक अमित गुप्ता के शव को पेड़ से उपर से रस्सी कटवाकर नीचे उतरवाया गया। पंचायतनामा की कार्यवाही की गयी। मृतक के गले मे बंधी रस्सी जिससे शव लटका था, कब्जा पुलिस मे लेकर मौके पर एक कपड़े मे रखकर सील सर्वमोहर कर नमूना मोहर तैयार किया गया। फर्द प्रदर्श क—11 मौके पर उसके द्वारा बोलकर उ0नि0 बलराम सिंह यादव से तैयार करायी गयी। जिस पर उसने अपने हस्ताक्षर की पहचान की। घटना के संबंध गांव के लोगो से जानकारी की गयी तो पता चला अमित गुप्ता उपरोक्त के अवैध संबंध गांव की महिला फूलमती पत्नी राजेश यादव के थे, जिसके कारण मृतक से मारपीट कर उसकी हत्या कर शव को लटकाया गया। मृतक की पी0एम0 रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि मृतक की हत्या गला दबाकर की गयी है। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु सर्विलांइस के सहारे गिरफ्तारी का प्रयास किया गया। सी0डी0आर0 प्राप्त करने हेतु अलग से रिपोर्ट कागज सं0—क/5 प्रेषित की गयी, जिस पर प्रदर्श क—13 डाला गया। दौरान विवेचना मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त राजेश यादव को हसनापुर चौराहे से पुरवा रोड पर 06.15 बजे गिरफ्तार किय गया, जिसका गिरफ्तारी प्रपत्र प्रदर्श क—14 अपने हस्ताक्षर से तैयार किया। गिरफ्तार अभियुक्त को थाने लाये उसका बयान लिया। जिसके घटना की स्वीकारोक्ति करते हुए बताया कि वह बारात से लौटा था, अमित गुप्ता को अपने घर मे पाकर आवेश मे आकर अपने भाई और भतीजे के साथ अमित को बाग मे लेकर प्लास्टिक की रस्सी से गला कसकर मार दिया तथा शव

को आम के पेड़ से लटका दिया। अभियुक्तगण सुमित यादव, संदीप यादव को बनी पुल के नीचे समय 08.30 बजे प्रातः गिरफ्तार किया गया। जिसका गिरफ्तारी प्रपत्र कागज सं0 5क / 14 पत्रावली पर उपलब्ध है, जिस पर प्रदर्श क–15 डाला गया। घटना में प्रयुक्त एक अदद प्लास्टिक की रस्सी (पन्नी रस्सी) सील सर्वमोहर हालत मे थाने के पैरोकार द्वारा लायी गयी, जिस पर मु0अ0सं0 116 / 2021 व अन्य विवरण स्केच पेन से लिखा है जिसे खोला गया तो उसमे एक अदद रस्सी निकली जिसे साक्षी ने देखकर कहा कि यह वही रस्सी है जो बरामद की गयी थी, जिस पर वस्तु प्रदर्श–1 डाला गया।

15. **पी0डब्लू0–8 अखिलेश चन्द्र पाण्डेय निरीक्षक ने सशपथ कथन किया है कि–** दिनांक 25.08.2021 को वह प्रभारी निरीक्षक, थाना सोहरामऊ में नियुक्त था। पूर्व पंजीकृत मु0अ0सं0–116 / 2021 धारा–302,323,506भा0दं0सं0 की विवेचना पूर्व विवेचक के स्थानान्तरण हो के पश्चात उसे प्राप्त हुयी। उसने अन्य साक्षीगण के बयान अंकित किये। अभियुक्त रज्जन यादव को गिरफ्तार किया तथा उसका गिरफ्तारी मेमो प्रदर्श क–16 अपने लेख व हस्ताक्षर से तैयार किया। अभियुक्तगण राजेश पुत्र वासुदेव, सुमित पुत्र मंगली, रज्जन पुत्र बाबादीन, संदीप पुत्र रज्जन के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य संकलन के उपरान्त आरोप पत्र अन्तर्गत धारा–302,323,506 भा0दं0सं0 न्यायालय प्रेषित किया। पत्रावली पर उपलब्ध आरोप पत्र कागज संख्या–5क / 1 ता 5क / 5 पर साक्षी ने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि है, जिस पर प्रदर्श क–17 डाला गया।

16. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने तर्क प्रस्तुत किया है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 12.07.2021 को समय लगभग 12.00बजे रात अभियुक्तगण वादिनी के पुत्र अमित गुप्ता को उसके घर से लिवा ले गये और मारपीटकर रस्सी से गला कसकर उसकी हत्या कर शव को आम के पेड़ मे लटका दिया। तथ्य के साक्षी पी0डब्लू01 रामजानकी, पी0डब्लू0–2 किरन गुप्ता, पी0डब्लू0–3 अजीत गुप्ता तथ्यात्मक साक्षीगण द्वारा अभियोजन तथ्यों को सिद्ध किया गया है। जिनके साक्ष्य विश्वसनीयता की श्रेणी में प्रथम स्तर के हैं। अभियोजन के द्वारा अभिलेखीय एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर अभियोजन तथ्यों को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया गया है। जिसके आधार पर अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किया जाये।

17. अभियोजन पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्क के प्रतियुत्तर में बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बलपूर्वक यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तगण के विरूद्ध न तो प्रत्यक्ष साक्ष्य है और ना ही परिस्थितिजन्य साक्ष्य है। प्रथम सूचना

रिपोर्ट देरी से अंकित करायी गयी है। अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य में विरोधाभाष है। अतः अभियुक्तगण लगाये गये आरोप से दोषमुक्त होने योग्य है।

18. अभियोजन पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि प्रथम सूचना आख्या वादिनी के द्वारा पंचायतनामा की कार्यवाही के पश्चात लिखायी गयी थी। जो स्वभाविक है, जबकि बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का प्रतिउत्तर में तर्क है कि प्रथम सूचना आख्या विलम्ब से अंकित करायी गई। पंचायतनामा 13.07.2021 को 08.45 बजे हुआ, जबकि प्रथम सूचना आख्या 13.07.2021 को 08.15 बजे अंकित कराई, जिससे स्पष्ट है कि अभियुक्तगण को झूठा फसाया गया है। प्रथम सूचना आख्या के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था–**Brahm Swaroop & Anr Vs. State of U.P. (2011) 6 SCC 288,** में अवधारित किया गया है कि–

In **Bhajan Singh @ Harbhajaan Singh & Ors v. State of Haryana AIR 2011 SC 2552** it was held that;

> *9. Prompt and early reporting of the occurrence by the informant with all its vivid details gives an assurance regarding its true version. In case, there is some delay in filing the FIR, the complainant must give explanation for the same. Undoubtedly, delay in lodging the FIR does not make the complainant's case improbable when such delay is properly explained. However, deliberate delay in lodging the complaint may prove to be fatal. In such case of delay, it also cannot be presumed that the allegations were an after thought or had given a coloured version of events. The court has to carefully examine the facts before it, for the reason, that the complainant party may initiate criminal proceedings just to harass the other side with mala fide intentions or with ulterior motive of wreaking vengeance. The court proceedings ought not to be permitted to degenerate into a weapon of harassment and persecution. In such a case, where an FIR is lodged clearly with a view to spite the other party because of a private and personal grudge and to enmesh the other party in long and arduous criminal proceedings, the court may take a view that it amounts to an abuse of the process of law.*

प्रथम सूचना रिपोर्ट तहरीर प्रदर्श क–1 के आधार पर प्रदर्श क–3 दिनांक 13.07.2021 को समय 08.15 बजे दर्ज की गयी। पी0डब्लू0–4उ0नि0 तेजपाल द्वारा वादिनी मुकदमा पी0डब्लू0–1 के द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर चिक संख्या 116 / 2021 पर कायमी की गयी। प्रभारी निरीक्षक सुरेश कुमार पटेल पी0डब्लू0–7 द्वारा घटना की विवेचना करते हुए घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। तत्पश्चात उ0नि0बलराम सिंह पी0डब्लू0–6 द्वारा मृतक अमित गुप्ता का पंचायतनामा दिनांक 17.07.2021 को 08.45बजे प्रारम्भ किया गया तथा 09.15बजे समाप्त किया गया। पी0डब्लू0–4 लेखन एफ.आई.आर. द्वारा कथन किया गया कि यह कहना गलत है कि उक्त मुकदमे का इन्द्राज एण्टीटाइम किया गया हो। वादिनी पी0डब्लू0–1 द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया गया कि बेटे के गायब होने की जानकारी उसे रात 12.00बजे मिली वह करीब रात 01.00बजे प्रधान रामबिलास के यहां गयी थी, जबकि मुख्य परीक्षा में कहा कि दिनांक 12.07.2021 की रात 12.00 बजे उसके पुत्र अमित गुप्ता को अभियुक्तगण लिवा कर ले गये थे। पी0डब्लू0–2 ने मुख्य परीक्षा में वादिनी के कथनो का समर्थन किया है। प्रतिपरीक्षा में कहा कि उसके भाई को चारो लोग ले जाने लगे तो मम्मी ने मना किया था। पी0डब्लू0–3 ने कथन किया गया कि उसके भाई अमित गुप्ता को चारों लोग ले जाने लगे तो उसकी मॉ ने कहा कहां लिये जा रहे हो। उक्त साक्षी ने पी0डब्लू0–2 व पी0डब्लू0–3 ने प्रतिपरीक्षा में घटना का दिनांक व समय नही बताया, जबकि उक्त साक्षीगण ने मुख्य परीक्षा में घटना का दिनांक 12.07.2021 समय 12.00बजे बताया है। उक्त साक्षीगण द्वारा अपनी साक्ष्य में स्पष्ट रूप से कथन नही किया गया है कि जब उनके भाई को अभियुक्तगण ले जा रहे थे, तो उन्होने पुलिस को सूचना न देकर वादिनी पी0डब्लू0–1 ग्राम प्रधान के पास गयी। पी0डब्लू0–1 द्वारा कथन किया गया कि उसके बेटे की लाश थाने दिन के 12–01बजे ले गये, लगभग दिन में 01.00बजे उसकी रिपोर्ट लिखी गयी थी। उसने तहरीर प्रदर्श क–1 लिखायी थी, जो दरोगाजी ने लिखी थी। उसका अंगूठा थाने कार्यालय में लगवा लिया था। पी0डब्लू0–4 द्वारा चिक एफ0आई0आर0 प्रदर्श क–3 को साबित किया गया है। जिसमें घटना का दिनांक 12.07.2021 समय 11.59बजे अंकित है, जब प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने का समय 13.07.2021 समय 08.15बजे अंकित है, जबकि घटना स्थल से थाने की दूरी मात्र 6कि.मी. दर्शित की गयी है। पी0डब्लू0–6 द्वारा पंचायतनामा की कार्यवाही की गयी, जिसमें साक्षी द्वारा पंचायतनामा दिनांक 13.07.

2021 समय 08.45बजे प्रारम्भ होकर 09.15बजे समाप्त करना उल्लिखित किया गया है। जबकि वादिनी द्वारा पंचायतनामा के पश्चात रिपोर्ट दर्ज कराने का कथन किया। यद्यपि मृतक की हत्या हुई है, किन्तु इन्ही अभियुक्तगण द्वारा हत्या की गई है, यह प्रथम सूचना आख्या से इंगित नही होता है। प्रथम सूचना आख्या को विलम्ब से दर्ज कराये जाने का कोई सम्यक स्पष्टीकरण अभियोजन पक्ष की ओर से नही दिया गया, जिससे कि प्रथम सूचना आख्या संदिग्ध हो जाती है।

19. अभियोजन पक्ष के द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि पी0डब्लू0—1 लगायत पी0डब्लू—3 के द्वारा घटना को सन्देह के परे सिद्ध किया गया था, जब कि बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि सभी साक्षीगण हितबद्ध साक्षी है। अभियोजन द्वारा किसी भी स्वतंत्र साक्षी को परीक्षित नही कराया गया है। घटना परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य के अन्तर्गत सभी कड़ियो का जुड़ना जरूरी है, जब कि अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की कड़िया आपस में नही जुड़ती है। अतः अभियुक्तगण सन्देह का लाभ पाने के अधिकारी है। बचाव पक्ष के प्रतिउत्तर व अभियेाजन पक्ष के साक्ष्य के आधार पर यह स्पष्ट है कि घटना के सन्दर्भ में पी0डब्लू0—1 जो मृतक की माता है व पी0डब्लू0—2 मृतका की बहन है व पी0डब्लू0—3 मृतका का भाई है, को परीक्षित कराया गया है। सर्वप्रथम इनके साक्ष्य का विश्लेषण करना आवश्यक है। बचाव पक्ष के द्वारा इन साक्षियों को हितबद्ध साक्षी बताया गया है।

हितबद्ध साक्षी की साक्ष्य की ग्राह्यता के विश्लेषण में माननीय उच्चतम न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त को देखा जाना आवश्यक है। **Succha Singh Vs. State of Punjab (2003) 7 SCC 643** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया किः—

> *" Relationship is not a factor to affect credibility of a witness. It is more often than not that a relation would not conceal actual culprit and make allegations against an innocent person. Foundation has to be laid if plea of false implication is made. In such cases, the court has to adopt a careful approach and analyse evidence to find out whether it is cogent and credible. Para 13 of the said judgment is quoted under :*
>
> *13. We shall first deal with the contention regarding interestedness of the witnesses for furthering prosecution version. Relationship is not a factor to affect credibility of a*

witness. It is more often than not that a relation would not conceal actual culprit and make allegations against an innocent person. Foundation has to be laid if plea of false implication is made. In such cases, the court has to adopt a careful approach and analyse evidence to find out whether it is cogent and credible."

Shyam Babu Vs. State of UP 2012 8 SCC 651 मे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि–

14) This Court has repeatedly held that the version of an eye-witness cannot be discarded by the Court merely on the ground that such eye-witness happened to be a relative or friend of the deceased. It is also stated that where the presence of the eye-witnesses is proved to be natural and their statements are nothing but truthful disclosure of actual facts leading to the occurrence, it will not be permissible for the Court to discard the statement of such related or friendly witnesses. To put it clear, there is no bar in law on examining family members or any other person as witnesses. In fact, in cases involving family members of both sides, it is a member of the family or a friend who comes to rescue the injured. If the statement of witnesses, who are relatives or known to the parties affected is credible, reliable, trustworthy and corroborated by other witnesses, there would hardly be any reason for the court to reject such evidence merely on the ground that the witness was a family member or an interested witness or a person known to the affected party or friend etc. These principles have been reiterated in Mano Dutt and Another vs. State of Uttar Pradesh, (2012) 4 SCC 79 and Dayal Singh and Others vs. State of Uttaranchal, 2012 (7) Scale 165

हर संबंधित गवाह हितबद्ध साक्षी नही होता है जो अभियुक्त को फंसाने के लिए झूंठा बयान देगा, परन्तु संबंधी साक्षी के साक्ष्य को नियमतः पूर्णतया निरस्त नही किया जा सकता है बल्कि साक्षियों के साक्ष्य को बहुत सावधानीपूर्वक परीक्षण करके विश्वसनीय है तो स्वीकार किये जा सकते है, यदि उनमें सन्देह है तो उन्हें निरस्त किया जा सकता है। साक्षियों के वह साक्ष्य जो विश्वसनीय व स्वीकार किये

जाने योग्य है, और अभियोजन पक्ष के अभिलेखीय साक्ष्य से जिनकी पुष्टि हो जाती है, तो संबंधी साक्षियों के साक्ष्य को स्वीकार करने में नियमतः कोई अवैधानिकता कारित नही होगी। **Vijendra Singh Vs. State of Uttar Pradesh (2017) 11 SCC 129** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि**:-**

> *"interested evidence can never form the basis of conviction unless corroborated to a material extent in material particulars by independent evidence. All that is necessary is that the evidence of the interested witnesses should be subjected to careful scrutiny and accepted with caution. If on such scrutiny, the interested testimony is found to be intrinsically reliable or inherently probable, it may, by itself, be sufficient, in the circumstances of the particular case, to base a conviction thereon. It is worthy to note that there is a distinction between a witness who is related and an interested witness. A relative is a natural witness. The Court in Kartik Malhar v. State of Bihar, (1996) 1 SCC 614 : 1996 SCC (Cri) 188 has opined that a close relative who is a natural witness cannot be regarded as an interested witness, for the term "interested" postulates that the witness must have some interest in having the accused, somehow or the other, convicted for some animus or for some other reason."*

अभियेाजन के इन तीनो तथ्य के साक्षियों के साक्ष्य का विश्लेषण से स्पष्ट होता है। पी0डब्लू0–1 जो कि मृतक की माता है ने तहरीर प्रदर्श क–1 में कथन किया कि पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 12.07.2021 की रात 12.00बजे अभियुक्तगण राजेश, सुमित, रज्जन व संदीप उसके दरवाजे से उसके पुत्र को लिवा ले गये बुरी तरह मारापीटा, जिससे उसकी मृत्यु हो गयी, मृत्यु के बाद गांव के बाहर लटका दिया। वादिनी पी0डब्लू0–1 जो मृतक की माता है ने साक्ष्य दिया कि राजेश के परिवार से उसकी कोई रंजिश नही है। उसका बेटा अमित कब कहां, किसके साथ जाता था, वह नही देखती थी, कब वापस आता था वह नही जानती थी। रात 12.00बजे छत से नीचे आयी तो उसका बेटा गायब था। वह रात 01.00बजे प्रधान के पास गयी, कहा सुबह तक आ जायेगा। उसके पेड़ पर लटके होने की जानकारी

सुबह 07.00बजे हुयी थी। लाश पहुॅचने के बाद रिपोर्ट लिखी गयी थी। साक्षी ने यह भी कथन किया कि यह कहना गलत है कि उसके बेटे की कुछ आदते खराब थी, इस वजह से उसका बेटे ने आत्महत्या की हो। पी0डब्लू0–2 जो मृतक की बहन ने कथन किया कि उसके भाई अमित गुप्ता को चारो अभियुक्तगण ले जाने लगे तो उसकी मॉ ने मना लेकिन चारो लोग लिवा ले गए। साक्षी द्वारा अग्रेतर यह भी कथन किया गया कि उक्त बाते दरोगा जी ने उसके बयान मे नही लिखी, तो वह इसकी वजह नही बता सकती। सुबह अभियुक्तगण उसके घर आये और कहने लगे कि तुम्हारे भाई को तेंदुआहार मे मारकर रस्सी से बाग मे लटका दिया है, जो करना हो कर लो। उक्त बाते दरोगा जी ने उसके बयान मे नही लिखी तो वह इसकी वजह नही बता सकती। उसकी मम्मी शाम तक थाने मे रूकी थी, लाश मिलने के बाद 11बजे तक थाने गयी थी। पी0डब्लू0–3 जो कि मृतक का भाई है ने कथन किया कि अभियुक्तगण उसके भाई को ले जाने लगे, तो उसकी बहन व मॉ ने रोका था, तो कहा बातचीत करने के लिये ले जा रहे है, कुछ देर बाद आ जायेगे। सुबह 07.00 बजे अभियुक्तगण उसके दरवाजे आये कहाकि तुम्हारे लड़के को बार बार समझाया कि फूलमती जो अभियुक्त राजेश की पत्नी है से अवैध संबंध रखना छोड़ दे। इस बार समझा दिया है। तुम्हारे लड़के को मारकर तेंदुआहार मे टांग दिया है यह बात दरोगा जी ने उसके बयान धारा 161दं0प्र0सं0 में नही लिखी तो वह वजह नही बता सकता। तथ्य के तीनों साक्षीगण पी0डब्लू0–1 लगायत पी0डब्लू–3 द्वारा स्पष्ट रूप से यह कथन किया गया कि उनके सामने मृतक अमित गुप्ता को अभियुक्तगण ने न मारापीटा न ही मारकर टांगा था। अभियोजन द्वारा घटना के स्वतंत्र साक्षी ग्राम प्रधान, जिसके पास घटना की सूचना देने रात 01.00बजे वादिनी ने जाने का कथन किया है, को अभियोजन की ओर से परिक्षित नही कराया गया है। इस प्रकार तथ्य के साक्षीगण द्वारा दिये गये साक्ष्य विश्वसीनय साक्षी की श्रेणी मे नही आते है। उनके द्वारा दिये गये साक्ष्य से अभियोजन कथानक सन्देह से परे सिद्ध नही होता है।

20. प्रस्तुत वाद परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य के सन्दर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नांकित विधि व्यवस्था प्रस्तुत की गई।

Sharad Birdhichand Sarda v. State of Maharastra, (1984) 4 SCC 116 में यह अवधारित किया गया कि:–

A close analysis of this decision would show that the following conditions must be fulfilled

before a case against an accused can be said to be fully established:

(1) the circumstances from which the conclusion of guilt is to be drawn should be fully established.

It may be noted here that this Court indicated that the circumstances concerned 'must or should' and not 'may be' established. There is not only a grammatical but a legal distinction between 'may be proved' and 'must be or should be proved' as was held by this Court in Shivaji Sahabrao Bobade & Anr. v. State of Maharashtra(') where the following observations were made:

"Certainly, it is a primary principle that the accused must be and not merely may be guilty before a court can convict and the mental distance between 'may be' and 'must be' is long and divides vague conjectures from sure conclusions."

(2) The facts so established should be consistent only with the hypothesis of the guilt of the accused, that is to say. they should not be explainable on any other hypothesis except that the accused is guilty,

(3) the circumstances should be of a conclusive nature and tendency.

(4) they should exclude every possible hypothesis except the one to be proved, and

(5) there must be a chain of evidence so complete as not to leave any reasonable ground for the conclusion consistent with the innocence of the accused and must show that in all human probability the act must have been done by the accused.

प्रश्नगत वाद में अभियोजन तथ्य के अनुरूप घटना का कोई भी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नही है। वाद परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। उक्त परिस्थितिजन्य साक्ष्य को सिद्ध करने हेतु अभियोजन द्वारा पी0डब्लू0–1 रामजानकी वादिनी मुकदमा

जो कि मृतक मॉ है। पी0डब्लू0–2 किरन गुप्ता जो मृतका की बहन है व पी0डब्लू0–3 अजीत गुप्ता जो मृतका का भाई है, को परीक्षित कराया गया है।

21. अभियोजन द्वारा तर्क दिया गया कि तथ्य के साक्षीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से अभियोजन कथानक पूर्णतया समर्थित है, उनके साक्ष्य विश्वसनीय साक्ष्य की श्रेणी मे आते है। इसके विपरीत बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किया गये साक्षियों के साक्ष्य में पर्याप्त विरोधाभाष है। उनके साक्ष्य विश्वसनीय साक्ष्य की श्रेणी मे नही आते है। अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जाये।

उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को के आलोक में घटना के सन्दर्भ में परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर अभियोजन पक्ष को सिद्ध किये जाने हेतु अभियोजन पक्ष के द्वारा तथ्य के साक्षीगण पी0डब्लू0–1 लगायत पी0डब्लू0–3 द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य से घटना साबित होती है। बचाव पक्ष के द्वारा इन साक्षियों के साक्ष्य में विरोधाभाष होना बताया गया है।

पी0डब्लू0–1 द्वारा संबंधित थाने पर इस आशय की तहरीर प्रस्तुत की गई कि दिनांक 12.07.2021 को समय लगभग रात 12.00बजे उसके गांव के राजेश, सुमित, रज्जन व संदीप से पुरानी रंजिश चल रही है इसी रंजिश को लेकर उसके दरवाजे आये और उसके लड़के अमित गुप्ता को लिवा ले गये, लड़के को बुरी तरह से मारापीटा जिससे लड़के की मृत्यु हो गयी, मृत्यु होने के बाद लड़के को गांव के बाहर पेड़ पर लटका दिया। उक्त लोगो से पूछने से पर बताया कि तुम्हारे लड़का पेड़ से लटका है, उतार लाओ, धमकी दिया कि तुम्हारे लड़के को जान से मारा है, जो करना हो कर लो, जबकि पी0डब्लू0–1 वादिनी द्वारा प्रतिपरीक्षा में कथन किया गया कि अभियुक्त राजेश के परिवार से उसकी कोई रंजिश नही है। उसका बेटा अमित कब किसके साथ कहां जाता था, उसने नही देखा था, कब वापस आता था वह नही जानती थी। बच्चे के गायब होने की जानकारी उसे रात 12.00बजे हुयी। लाश पहुॅचने के बाद रिपोर्ट लिखायी थी, जो दरोगाजी ने लिखी थी। लाश की लिखापढ़ी थाने पर हुयी थी उसके घर पर कोई लिखा पढ़ी नही हुयी थी। घटना स्थल से प्लास्टिक की रस्सी मिली थी, जिसकी लिखापढ़ी थाने पर हुयी थी। साक्षी द्वारा यह भी कथन किया गया कि यह कहना गलत है कि उसके बेटे की कुछ आदते खराब थी, इसी वजह से उसके बेटे ने आत्महत्या की हो। पी0डब्लू0–2 ने कथन किया कि घर के बाहर चारपायी पर सो रहे उसके भाई अमित गुप्ता को राजेश, रज्जन, सुमित व संदीप चोरो लोग बातचीत कर रहे थे तथा कहीं ले जाने

लगे, तो उसने मना किया लेकिन चारों लोग लिवा ले गये। यदि दरोगा जी ने उक्त बाते नही लिखी तो वह इसकी वजह नही बता सकता। सुबह 07बजे अभियुक्तगण उसके घर के बाहर आये, उसने पूछा भाई अमित कहां है तो कहा कि तुम्हारे भाई को तेदुआहार मे बाग मे मारकर रस्सी से लटका दिया है। गंदी गंदी गालियां दी। लाश मिलने के बाद परिवार के लोग इकट्ठे हुए थे, जब वह पहुॅचा तो काफी भीड़ थी। उसकी मम्मी 9–10 बजे थाने गयी थी। शाम तक थाने मे रूकी थी। घटना वाले दिन लाश मिलने के बाद वह 11बजे रिश्तेदारो के साथ थाने गयी थी, थाने पर लाश की लिखा पढ़ी हुयी थी। पी0डब्लू0–3 ने कथन किया कि उसके भाई अमित के साथ चारपायी पर राजेश, सुमित बैठे थे, रज्जन व संदीप 05कदम की दूरी पर खड़े थे। चारों लोग उसके भाई अमित को ले जाने लगे, मॉ के पूछने पर कहा कि बातचीत करने के लिये ले जा रहे हैं, कुछ देर बाद आ जायेगे। सुबह 07बजे चारों अभियुक्तगण उसके घर के दरवाजे पर आये मॉ ने पूछा अमित कहां है तो राजेश ने कहा कि तुम्हारे लड़के को बार बार समझाया कि मेरी पत्नी के पास न जाये और पत्नी से अवैध संबंध रखना छोड़ दे। तुम्हारे लड़के को अच्छे से इसबार समझा दिया है। लड़के को मारकर तेंदुआहार मे टांग दिया है। साक्षी ने अग्रेतर यह भी कथन किया कि यह कहना गलत है कि उसने कोई घटना अपनी ऑखो से न देखी हो। उसका भाई चबूतरे पर लेटा था। जहां हत्या हुयी वह ग्राम निधानखेड़ा की आबादी से दो खेत छोड़कर पचास मीटर से कम दूरी पर स्थित है। उसके भाई के शव का पंचायतनामा उसके दरवाजे पर नही बल्कि जहां शव पेड़ परा लटका था, वहीं उतार कर किया गया था। वह पंचायतनामा का गवाह भी है। पंचायतनामा में दरोगा जी ने यह बात गलत लिखी है कि मृतक का शव घर के बाहर रखा था। अगर उसकी मॉ ने पंचायतनामा थाने पर भरा जाना लिखा है, तो वह उसकी वजह नही बता सकता। उसका भाई आवारा था और अय्यासी मे उसकी जान गयी। पी0डब्लू0–6 ने साक्ष्य दिया कि पंचायतनामा कार्यवाही मौके पर की थी। लाश मौके पर ही सील मोहर किया था। पंचायतनामा मे दशा शव के कालम के आगे मृतक का शव घर के बाहर रखा लिखा है, वह उसका कोई कारण नही बता सकता। पी0डब्लू0–7 ने साक्ष्य दिया कि घटना के संबंध में गांव के लोगो से जानकारी करने पर पता चला कि अमित गुप्ता के अवैध संबंध गांव की फूलमती पत्नी राजेश से थे, जिस कारण मृतक की हत्या कर शव को लटकाया गया। मौके पर एक अदद प्लास्टिक की पन्नी की रस्सी के संबंध में फर्द प्रदर्श क–11 उसने स्वयं बोलकर लिखायी थी। उस पर उसने हस्ताक्षर बनाये थे। साक्षी द्वारा न्यायालय में मौजूद रस्सी वस्तु प्रदर्श–1

प्लास्टिक पन्नी नही है, थाने के पैरोकार द्वारा वस्तु प्रदर्श–1 न्यायालय में प्रस्तुत की गयी वह रस्सी सन की है। न्यायालय में मौजूद रस्सी फर्द के अनुसार मौके पर बरामद रस्सी नही है। मृतक दरवाजे पर सो रहा था, वहां का नक्शानजरी नही बनाया था। मृतक के शव का पंचायतनामा वादिनी के दरवाजे पर लिखा गया था। मृतक को घटना स्थल से मृतक के दरवाजे तक कौन लाया था, उसे जानकारी नही है। यह सही है कि लाश मिलने वाले स्थान पर उसका पंचायतनामा नही किया गया। साक्षी रामजानकी ने इस प्रकार का कोई बयान नही किया था। नामजद अभियुक्त उसके बेटे अमित को लिवा ले गये थे। अभियुक्त के पास कोई आलाकत्ल बरामद नही हुआ था। विवेचना के दौरान कोई कोई स्वतंत्र साक्षी नही मिला। पी0डब्लू0–8 के द्वारा किरन गुप्ता व अजीत गुप्ता का बयान लिया गया। उक्त साक्षी द्वारा उसको दिये गये साक्ष्य के संबंध में बताया कि उनके द्वारा ऐसा कोई बयान उसे नही दिया गया था। साक्षी द्वारा आरोप पत्र प्रदर्श क–17 साबित किया गया है। पी0डब्लू0–4 द्वारा कथन किया गया कि इस मुकदमें से संबंधित कोई माल दाखिल किया गया या नही उसे याद नही है। मुकदमा कायमी के दौरान कोई माल दाखिल नही किया गया है। पी0डब्लू0–5 द्वारा मृतक अमित गुप्ता के शव का शवविच्छेदन किया गया, मृतक के शव विच्छेदन के समय उसके शरीर पर निम्नचोटें पायी गयी–

1. Ligarture mark 20c.m. x 2 1/2 c.m. गर्दन के सामने और ठोढी के नीचे कंठ पर मौजूद थी, पीछे सीधे की तरफ जाते हुए गर्दन के पीछे 06से.मी. का गैप मौजूद था। मार्क दाहिने कान से 03से.मी. नीचे ठोढी से 7से.मी. नीचे एवं बांये कान से 3से.मी. नीचे था।

निशान गले मे बेस पर मुलायम और लाल था, उसको काटने पर उसके नीचे Echymosis थी।

2. चोट नं0–2 फटा हुआ घाव 1 x 9.5 c.m. नांक पर नीचे की जड़ से 2से.मी. नीचे था।

3. चोट नं0–3 सिला हुआ नीलगू का निशान 16 x 2 c.m. पीठ पर दाहिनी तरफ स्कैपुला से 07से.मी. नीचे था।

4. चोट नं0–4 छिला हुआ नीलगू का निशान 13 x 2 c.m. जो कि चोट सं0–1 से 02से.मी. नीचे पीछे पीठ की तरफ था।

पी0डब्लू0–4 द्वारा मृतका की मृत्यु का कारण एण्टीमार्टम Strangulation जो मृत्यु पूर्व चोटें से होना संभव है। तात्कालिक मृत्यु का कारण Asphyxa था। मृतक के बांये हाथ की अंगुलियों से लगभग 06से.मी. कुछ काले रंग के बाल मिले थे, जिसको

सीलबंद डिब्बे मे रखकर D.N.A. Examination के लिये हे0का0 अनिल कुमार पाण्डेय थाना सोहरामऊ को दिया था। अभियोजन द्वारा मृतक की डी0एन0एस0 परीक्षण रिपोर्ट पत्रावली पर उपलब्ध नही करायी गयी है। पी0डब्लू0–6 द्वारा पंचायतनामा कार्यवाही करते समय पंचायतनामा में मृतक की चोटो के संबंध में उल्लिखित किया कि मृतक की गर्दन पर गहरा निशान फंदे का बना है। शव को उलट पलट कर देखा व दिखाया गया, खास चोटें नही है, पीठ पर खरोंच, पैर पर नीलगू चोट प्रतीत होती है।

इस प्रकार अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण द्वारा मृतक के शव को सील मोहर करने एवं पंचायतनामा कार्यवाही, फर्द बरामदगी रस्सी, मृतक के सोने के स्थान, मुकदमा दर्ज कराने के संबंध में साक्षीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य में विरोधाभाष है। ऐसी स्थिति में साक्षीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य प्रथम दृष्टया विश्वसनीयता श्रेणी के स्तर के नही है।

22. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि घटना स्थल सिद्ध होना नही पाया गया तथा घटना स्थल से मृतक की हत्या कारित किये जाने संबंधी कोई वस्तु न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही की गई। अतः घटना स्थल का सिद्ध होना नही पाया जाता है। अभियोजन पक्ष का तर्क है कि पी0डब्लू0–1, पी0डब्लू0–7 विवेचक के द्वारा घटना को सन्देह से परे सिद्ध किया गया है।

तहरीर आख्या प्रदर्श क–1 में वादिनी द्वारा यह कहा गया है कि वादिनी का पुत्र अमित गुप्ता घर के दरवाजे पर सो रहा था। दिनांक 12.07.2021 रात 12.00बजे अभियुक्तगण उसके पुत्र को लिवा ले गये। उक्त कथन की पुष्टि तथ्य के अन्य साक्षीगण द्वारा की गयी है। मृतक की लाश तेंदुआहार लक्ष्मण के बाग मे टंगी होना बताया है। पी0डब्लू0–7 द्वारा नक्शा नजरी प्रदर्श क–12 साबित किया गया है, जिसमें घटना स्थल खेत सुन्दरलाल यादव पुत्र लक्ष्मण यादव शेषपुर लिखा है। जिसमें घटना स्थल को अक्षर एक्स से दर्शित किया गया है। जब कि तथ्य के साक्षी पी0डब्लू0–3 ने साक्ष्य दिया कि जहां हत्या हुयी वह स्थान ग्राम निधान खेड़ा से आबादी से दो खेत छोड़कर पचास मीटर से कम दूरी पर स्थित है। पंचायतनामा घ टना स्थल से करीब आधा कि0मी0 दूर है। मृतक जहां सो रहा था, वहां का नक्शा नजरी नही बनाया गया। पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य से यह तथ्य स्पष्ट नही होता है कि वास्तव में मृतक की हत्या किस स्थल पर की गई, बल्कि यह स्पष्ट है कि मृतक की लाश आम के पेड़ पर रस्सी से लटकी हुई मिली। ऐसी स्थिति में मामले में प्रस्तुत मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य से वास्तविक घटना

स्थल युक्तियुक्त सन्देह से परे सिद्ध नही होता है।

23. परिस्थितिजन्य साक्ष्य की स्थिति में आशय एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अभियोजन पक्ष के द्वारा आशय सन्देह से परे सिद्ध किया जाना एक आवश्यक तथ्य है।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा परिस्थितिजन्य साक्ष्य के विषय में आशय का महत्व दर्शित करते हुए **1993 सीआर.एल.जे. पेज–1659 जनरैल सिंह बनाम स्टेट आफ महाराष्ट्र** में यह कहा है किः–

> *"……… It must be impressed that motive always behind a crime is a relevant fact and normally the prosecution is expected to adduce evidence in respect thereof. Experience shows that one or the other motive moves the culprit to a certain course of action. In cases where the prosecution is unable to establish a motive behind the alleged crime, it assumes importance especially in cases where prosecution rests on circumstantial evidence or on witnesses who have inimical background. Proof of motive on the part of the accused persons to commit an offense satisfies the judicial mind about the likelihood of the authorship, but in its absence it is only proper on the part of the court to have closure search, but if the court is satisfied that evidence adduced oral or circumstantial establishes charge against the accused, the prosecution case cannot be rejected saying that there was immediate impelling on the part of the accused persons to commit the crime."*

पी0डब्लू0–1 द्वारा तहरीर प्रदर्श क–1 में यह अभिकथित किया गया कि पुरानी रंजिश को लेकर अभियुक्तगण उसके दारवाजे से उसके लड़के अमित गुप्ता को बातचीत करने के लिये लिवा ले गये, जब कि साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में कहा अभियुक्त राजेश के परिवार से उसकी कोई रंजिश नही है। पी0डब्लू0–3 ने साक्ष्य कि उसकी मॉ ने अभियुक्त राजेश से पूछा कि अमित कहां है, तो राजेश ने कहा तुम्हारे लड़के को बार बार समझाया कि उसकी पत्नी से अवैध संबंध रखना छोड़ दें। मना किया नही माना तो उसको मारकर टांग दिया। इस प्रकार तथ्य के साक्षीगण द्वारा भी

रंजिश के संबंध में विरोधाभाषी कथन किये है। जिससे उनके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य इस स्तर पर विश्वसनीय नही है। अतः ये साक्षी भी अभियोजन पक्ष द्वारा रखे गये आशय को सिद्ध नही कर सके है। उपरोक्त परिस्थिति में यह स्पष्ट है कि अभियेाजन पक्ष आशय को सन्देह से परे सिद्ध किये जाने में असफल रहा है।

जैसा कि उपरोक्त से यह स्पष्ट हो चुका है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य की कड़िया आपस मे नही जुड़ती है एवं अभियोजन सन्देह से परे अपने तथ्य को सिद्ध नही कर सका है। ऐसी स्थिति में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **Devi Lal v. State of Rajasthan, (2019) 19 SCC 447,** में अवधारित मत कि–

> *' 'two views are possible on the case of record, one pointing to the guilt of the accused and the other his innocence. The accused is indeed entitled to have the benefit of one which is favourable to him,,*

को दृष्टिगत रखते हुए यदि मामले के तथ्यों, मौखिक साक्ष्य एवं अभिलेखीय साक्ष्य से प्रथम अभियुक्त की दोषिता एवं द्वितीय अभियुक्त के निर्दोष होने के निष्कर्ष निकलते है तो अभियुक्त निर्दोष होने के निष्कर्ष का लाभ पाने का अधिकारी होगा।

24. अभियोजन पक्ष की तरफ से तर्क दिया गया किजिस रस्सी से मृतक की हत्या कर शव को पेड़ से टांगा जाना बताया गया है। वह प्लास्टिक की पन्नी की रस्सी मौके से बरामद हुयी, जिसकी फर्द बरामदगी प्रदर्श क–11 पत्रावली पर उपलबध है तथा प्लास्टिक की पन्नी की रस्सी वस्तु प्रदर्श–1 को भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जिसे पी0डब्लू0–7 द्वारा साबित किया गया है तथा साक्षीगण द्वारा भी पी0डब्लू0–7 के कथनो का समर्थन किया गया है। जबकि बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त तर्को का खण्डन करते हुए कथन किया गयाकि तथ्य के साक्षीगण द्वारा फर्द बरामदगी प्रदर्श क–11 तथा वस्तु प्रदर्श–1 के संबंध में विश्वसनीय साक्ष्य नही प्रस्तुत किया है।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **काला उर्फ चन्द्रकला बनाम राज्य द्वारा इंस्पेक्टर आफ पुलिस 2017 सीआरएल. एल0जे0 1167** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि–

> *Thus, the prosecution has not been able to establish that the death was caused by strangulating the deceased and the piece of nylon saree was used to cause the death.*

Hence, recovery of the piece of nylon saree is of no value as the prosecution has not been able to link the same with the commission of the offence.

पत्रावली पर उपलब्ध फर्द बरामदगी प्रदर्श क–11 जिसे पी0डब्लू0–7 द्वारा उ0नि0 बलराम सिंह को बोल बोल कर लिखाया गया है। जिसमे यह तथ्य उल्लिखित किया गया है कि दिनांक 13.07.2025 को घटना स्थल पर आया खेत मे आम के पेड़ से प्लास्टिक की पन्नी निर्मित रस्सी से अमित गुप्ता लटका है। मृतक के परिजन की मदद से रस्सी काटकर शव नीचे उतारा गया। रस्सी प्लास्टिक की पन्नी की समक्ष गवाहान अजीत गुप्ता व सूरज गुप्ता के पुलिस को दिया जिसे एक कपड़े मे रखकर सर्व मोहर कर नमूना मोहर तैयार किया गया। जिस पर सूरज गुप्ता व अजीत गुप्ता के हस्ताक्षर बने है। पी0डब्लू0–1 ने कथन किया कि घटना स्थल से एक प्लास्टिक की की रस्सी मिली थी, जिसकी लिखापढ़ी थाने मे हुयी थी। पी0डब्लू0–2 व पी0डब्लू0–3 द्वारा रस्सी की बरामदगी के संबंध में अपनी प्रतिपरीक्षा में कोई साक्ष्य नही दिया। पी0डब्लू0–7 ने न्यायालय मे थाने पैरोकार द्वारा लायी गयी रस्सी वस्तु प्रदर्श–1 को देखकर कहा कि यह रस्सी सन की है। यह प्लास्टिक की पन्नी की नही है। वस्तु प्रदर्श–1 जो न्यायालय मे मौजूद है वह फर्द के अनुसार नही है। अभियोजन द्वारा बरामदगी के स्वतंत्र गवाह सूरज गुप्ता को परीक्षित नही किया गया है। अतः फर्द बरामदगी स्वयं मे संदिग्ध हो जाती है।

25. उपरोक्त विधिक सिद्धान्तो की पृष्ठभूमि में तथ्य के साक्षीगण की संवीक्षा से यह तथ्य निर्विवाद रूप से स्पष्ट होता है कि पी0डब्ल्यू–1 लगायत पी0डब्लू0–3 के बयान विश्वसनीयता की प्रथम श्रेणी पर नही आते है और ना ही उनके बयान अन्य साक्षियों से समर्थित होते हैं। साक्षियों के साक्ष्य के विशलेषण से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुॅचता है कि तथ्य के साक्षियों का साक्ष्य विश्वसनीय न होने के कारण साक्ष्य में ग्रह्य नही है। उक्त के अतिरिक्त पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य, तथ्य व परिस्थिति उपलब्ध नही है, जिससे अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित आरोप प्रत्येक युक्तियुक्त सन्देह से परे प्रमाणित होता हो। इसके अतिरिक्त परिस्थितिजन्य साक्ष्य का विश्लेषण प्रत्येक मानवीय संभावनाओं के परिप्रेक्ष्य में करने पर भी अभियुक्तगण द्वारा अपराध कारित किया जाना संभाव्य एवं प्रमाणित नही होता है तथा प्रस्तुत मामले मे अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से परिस्थितिजन्य साक्ष्य की

कड़ियां प्रमाणित नही है। अतः पत्रावली पर अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अभियोजन अपने कथानक को प्रत्येक युक्तियुक्त सन्देह से परे अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल रहा है तथा अभियुक्तगण ऐसी स्थिति में उनके विरूद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा–323 सपठित धारा 34, 302 सपठित धारा 34, 506 भा0दं0सं0 से दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

आदेश

1. अभियुक्तगण राजेश यादव, सुमित यादव, रज्जन यादव व संदीप यादव को सत्रवाद संख्या–1076 / 2021 मु0अ0सं0–116 / 2021 धारा–धारा–323 सपठित धारा 34, 302 सपठित धारा 34, 506 भा0दं0सं0, थाना सोहरामऊ, जिला उन्नाव के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण जमानत पर है, उनके जमानतनामें व बंधपत्र निरस्त किये जाते है, उनके जामींदारो को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

2. राजेश यादव, सुमित यादव, रज्जन यादव व संदीप यादव प्रत्येक द्वारा धारा–437ए दं0प्र0सं0 के अनुपालन में मु0–50,000 / –का निजी बंधपत्र समान धनराशि की एक–एक प्रतिभू अंदर सप्ताह प्रस्तुत की जाये, जो निर्णय की तिथि से छःमाह तक प्रभावी रहेगी। यदि इस निर्णय की अपील होती है और अपीलीय न्यायालय से नोटिस जारी होती है, तो वह अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगें।

दिनांक–24.03.2026

(अनिल कुमार वर्मा–प्रथम)
जे0ओ0कोड–यू0पी0–6552
सत्र न्यायाधीश, उन्नाव।

निर्णय / आदेश आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक–24.03.2026
राकेश / –

(अनिल कुमार वर्मा–प्रथम)
जे0ओ0कोड–यू0पी0–6552
सत्र न्यायाधीश, उन्नाव।